<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 79/2014 **दायर दिनांकः 06.08.2014**

उनवान

1. रोशन बाई उम्र 46 वर्ष पत्नि रामप्रसाद जाति मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादिया

बनाम

1. कल्याण सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
2. चतरभुज उम्र 60 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
3. बृजराम सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
4. पुखराज सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
5. ज्ञान कुंवर उम्र 42 वर्ष पुत्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
6. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू जिला बारां (राज0)

5\. राजस्थान सरकार तर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :—
वादीया :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर प्रतिवादी क्रम 1 व 5

निर्णय दिनांक 19/09/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गोरडी जागीर तहसील अटरू जिला बारां में वादीया एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के शामलाती खाते की आराजीयात खाता संख्या 339 के ख0न0 216 का रकबा 0.32 है0, ख0न0 680 का रकबा 0.13 है0, ख0न0 681 का रकबा 0.08 है0, ख0न0 682 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 684 का रकबा 0.32 है0, ख0न0 685 का रकबा 0.34 है0, ख0न0 686 का रकबा 0.18 है0,

ख0न0 688 का रकबा 0.73 है0, ख0न0 689 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 690 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 691 का रकबा 0.65 है0, ख0न0 692 का रकबा 1.29 है0, ख0न0 693 का रकबा 0.51 है0, ख0न0 1003 का रकबा 0.63 है0, ख0न0 1048 का रकबा 0.77 है0, ख0न0 1049 का रकबा 0.85 है0, ख0न0 1050 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 1102/1421 का रकबा 0.30 है0 कुल किता 18 का कुल रकबा 7.76 है0 स्थित है। वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 नकल नक्शा ट्रेस तथा विक्रय विलेख की शुद्ध प्रतिलिपी पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पूर्व में शंकर सिंह, कल्याण सिंह, चतरभुज एवं गजराज सिंह पिसरान प्रताप सिंह के खाते की थी जिसका प्रताप सिंह स्वयं ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक विभाजन कर दिया था उसी विभाजन के मुताबिक 1/4–1/4 हिस्से पर चारों भाई काबिज काश्त करते चले आ रह थे। खातेदार गजराज सिंह ने उसका 1/4 हिस्सा वादिया को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 28.07.2011 को बेचान कर दिया है जिसको वादिया काश्त कर रही है तथा शंकर सिंह का स्वर्गवास हो गया है उसके हिस्से को प्रतिवादी क्रम 3 लगा 5 काश्त कर रहे है। अर्थात सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से की आराजी को अलग–अलग काश्त कर रहे है। कब्जे काश्त को लेकर वादिया तथा प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद भी नहीं हुआ है लेकिन शामलाती खाते की आराजी होने की वजह से वादिया अपने 1/4 हिस्से को जिस पर वह काबिज काश्त है अपनी इच्छा मुताबिक मेडबंदी करवाने, कृषि विकास ऋण प्राप्त करने, राज लगान जमा कराने में काफी परेशानी होती है तथा अपने हिस्से की आराजी को विक्रय नही कर सकती है। वादिया ने प्रतिवादी क्रम 1 ल 2 से शामलाती खाते की आराजी का तहसील अटरू में आकर विभाजन कराने के लिये कहा तो उन्होने कहा कि मौके पर सभी अलग–अलग काश्त कर रहे है। विभाजन मौके पर हो रहा है। उक्त बात दिनांक 01.07.2014 को विभाजन करने से मना कर दिया और धमकी दी कि अभी पूरी जमीन शामलाती है हम तेरे को बेची उस जमीन पर भी कब्जा कर सकते है। तेरे को इस वर्ष शान्तिपूर्वक काश्त नही करने देगें। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 को उनके द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वादिया के 1/4 हिस्से की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादिया अपने स्वामित्व एवं हिस्से की आराजी से वंचित हो जावेगी जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा

वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा इस वजह से वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती हैकि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 निम्न आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन किया जाकर वादिया का 1/4 हिस्सा जिस पर वह काबिज काश्त है वादिया के पृथक से खाते दर्ज किया जावे। यदि दौराने वाद वादिया के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगणकब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ि कवे वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी क्रम 6 की शाखा से वादिया ने ऋण ले रखा है। उस ऋण का नोट बाद विभाजन वादिया के हिस्से पर दर्ज किया जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद विभाजन का होने से उक्त वाद में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को प्रतिवादी क्रम 7 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 01.07.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा तहसील अटरू में आकर विभाजन करने से मना करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 14.07.2014 को वादिया के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 द्वारा कब्जा करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल गोरडी जागीर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन किया जाकर वादिया का 1/4 हिस्सा जिस पर वादिया काबिज काश्त है, को पृथक से वादिया के राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज की जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 दौराने वाद वादिया के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

फरमाया जावे कि वे वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) बैंक ऋण का नोट बाद विभाजन वादिया के हिस्से व खाते की आराजी पर दर्ज किया जावे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीया को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं है अपितु कथन है कि विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार हैं वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 **9** कानूनी है।

विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के शामलाती खाते में दर्ज थी जिसमें गजराजसिंह का नाम भी शामलाती खाते में दर्ज था। मृतक गजराजसिंह ने अपना हिस्सा बिना खाता विभाजन किये अपने शामलाती खाते की आराजी को वादिया को बेचान कर दिया था जिसके आधार पर वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। क्रेता की स्थिति वर्तमान में स्ट्रेन्जर की है जिसकी खाता विभाजन वाद के अनुसार कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादिया ने अपने वाद पत्र में कहीं भी यह अंकित नही किया है किस ख0नं0 व कितने रकबे पर काबिज है तथा विक्रय विलेख में भी खास खसरा नम्बर व रकबा अंकित नही है। अतः वादिया ने बिना खाता विभाजन किये अवैधानिक रूप से मृतक गजराजसिंह का हिस्सा क्रय करने के आधार पर वादिया को किसी विशेष ख0नं0 एवं रकबा पर खाता विभाजन करवा कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। चूंकि बिना खाता विभाजन प्रत्येक सहखातेदार का अधिकार प्रत्येक इंच आराजी पर होता है अतः अनुतोष के अनुसार वादिया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी किसी भी कानून के अनुसार नहीं है। अतः वादिया का

वाद खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 का नाम व वादिया का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शामलाती हिस्से में दर्ज है। वादिया इस वाद पत्र में वर्णित आराजी पर बहैसियत स्ट्रेन्जर है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का विभाजन प्रत्येक ख0नं0 में से हिस्सानुसार करवा कर विभाजन के अनुसा बाद पैमाईश वादिया को बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हे जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। प्रतिवाद कारण वादिया द्वारा गलत तथ्यों पर वाद पेश करने व वाद के माध्यम से प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को उनके हिस्से एवं कब्जे की आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। प्रतिवाद पत्र मय जवाब वाद अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः जवाब वाद मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 निवेदन करते है कि वादिया का वाद खारिज फरमाते हुऐ प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री बहक प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 विरूद्ध वादिया फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का विभाजन प्रत्येक ख0नं0 में हिस्सानुसार करवाकर विभाजन के अनुसार बाद पैमाईश वादिया को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को सम्भलाया जावे। तथा वादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की आराजी को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे।

(ब) प्रतिवाद पत्र व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को दिलाई जावे।

3. वादिया द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 1 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 2 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 3 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 4 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 5 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद

नं0 6 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 7 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 8 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 9 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 10 अस्वीकार है।

विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब

विशेष कथन का मद नं0 1 स्वीकार नहीं है। वादिया 1/4 हिस्से की खातेदार है जिस पर वह शान्तीपूर्वक काबिज काश्त है। विशेष कथन का मद नं0 2 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नहीं है वादिया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है और विभाजन कराकर उस अपने हिस्से का जिसको वादिया काश्त कर रही है अपने नाम पृथक से दर्ज कराना चाहती है। विशेष कथन का मद नं0 3 अस्वीकार है। विशेष कथन का मद नं0 4 अस्वीकार है। विशेष कथन का मद नं0 5 कानूनी है। विशेष कथन का मद नं0 6 कानूनी है। विशेष कथन का मद नं0 7 कानूनी है। प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 का प्रतिवाद पत्र काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय में वादिया जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन करती है कि प्रतिवादी क्रम 1 से 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा वादिनी का वाद डिक्री फरमावे हुये कब्जे काश्त के मुताबिक 1/4 हिस्सा वादिया के पृथक से खाते दर्ज किया जावे।

4. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की जाती है—

तनकी नं0 1—आया वादिया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का कब्जे काश्त के मुताबिक अपने 1/4 हिस्सा विभाजन कराकर पृथक से खाता दर्ज करापाने की अधिकारी है।

वादिया

तनकी नं0 2—आया वादिया अपने स्वामित्व के कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

वादिया

तनकी नं0 3—आया प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रत्येक ख0नं0 का विभाजन कराकर अपने नाम पृथक से खाता दर्ज करापाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5

तनकी नं0 4—आया प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5

तनकी नं0 5—दादरसी

5. साक्ष्यवादी के तहत पी0डब्ल्यू 1 रोशनबाई पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी बाणगंगा ने अपने शपथ पत्र में बताया कि मेरे तथा प्रतिवादीगण कल्याणसिंह, चतरभुज, बृजराजसिंह वगै0 के शामलाती खाते कि आराजी वाके ग्राम एवं माल गोरडी जागीर में स्थित है यह शामलाती खाते की आराजी 45.50 बीघा के लगभग होगी जिसका मेने बटवारे का दावा करके मेरे हिस्से कि आराजी को मैं। अलग कराना चाहती हॅू मौके पर पूरी ही जमीन का बंटवारा है मेने दावे में वर्णित जमीन में से गजराज सिंह का 1/4 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से सन 2011 में खरीद किया था जिस पर मेरा खरीद की तारीख से ही कब्जा काश्त है मेरा दावा डिक्री किया जाकर आराजी का विभाजन किया जाकर दर्ज हिस्से के मुताबिक आराजी मेरे पृथक से खते दर्ज कि जावे अगर मेरे हिस्से कि आराजी पर प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 का कब्जा निकलता है तो उन्हे बेदखल करके कब्जा मेरे को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह मेरे को मेरे हिस्से कि मेरे खाते कि आराजी को शांति पूर्वक काश्त करने देवे। जिरह वकील प्रतिवादी श्री चन्दालाल नागर द्वारा जिरह की गई। जिरह के दौरान वादिया पी0डब्ल्यू 1 ने स्वीकार किया है कि ग्राम गोरडी की जो जमीन उसने खरीदी थी वह शामलाती खाते की थी और उस पर अन्य खातेदारों का भी कब्जा था।

4. अभिभाषक वादिया एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की बहस सुनी। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा बहस के दौरान कोई विशेष कथन व आपत्ति पेश नहीं की। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादीया एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस एवं पेश दस्तावेज के परिपेक्ष्य में रिकार्डेड सहखातेदारों के मध्य खाता विभाजन के लिए धारा 53(2) आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का अवलोकन किया जो निम्न प्रकार है–

<u>A division of holding shall be effected in the following manner</u>-

(i) by agriment between the co-tenants in respect of- (a) Such division of the holding , and (b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided, or

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and

distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

5. उक्त प्रकरण में प्रकरण का उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>तनकी नं0 1</u>– वादिया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का कब्जे काश्त के मुताबिक अपने 1/4 हिस्सा विभाजन कराकर पृथक से खाता दर्ज करापाने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा पेश रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 28.07.2011 प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी खाता संख्या 315 कुल किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 सहखातेदारी में दर्ज थी जिसमें से एक सहखातेदार गजराजसिहं पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर द्वारा अपने हिस्सा 1/4 की आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादिया रोशन बाई पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी बाणगंगा को जरिये रजिस्ट्री बेचान किया गया था। ग्राम गोरडी जागिर की जमाबंदी संवत 2069–72 के अवलोकन से जाहिर है कि खाता संख्या 339 की किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 भूमि में वादिया हिस्सा 1/4 पर रिकार्डेड सहखातेदार है।

विक्रय पत्र अनुसार सहखातेदार गजराजसिंह ने किसी खसरा विशेष का बेचान न करके अपने हिस्से 1/4 का बेचान किया है। विक्रय पत्र में कब्जा सम्भलाने का भी उल्लेख है लेकिन किस किस खसरे नंबर पर कब्जा दिया गया – का उल्लेख नहीं है। विवादित आराजी के पूर्व में पारिवारिक बटवारा होने का भी कोई रिकार्ड वादिया द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादिया द्वारा वाद पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि विवादित आराजी के किसी–किस ख0नं0 पर उसने कब्जा प्राप्त किया था और वर्तमान में किस किस ख0नं0 पर काबिज है। वादिया ने कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि वादिया का किस किस खसरा नंबर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादिया ने साक्ष्यवादी के दौरान भी अपने शपथ पत्र pw1 में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि वादिया किस ख0नं0 पर कब्जा काश्त कर रही है । जिरह के दौरान वादिया पी0डब्ल्यू 1 ने स्वीकार किया है कि ग्राम गोरडी की जो जमीन उसने खरीदी थी वह शामलाती खाते की थी और उस पर अन्य खातेदारों का भी कब्जा था। वादिया

विवादित आराजी में अपना हिस्सा 1/4 को पृथक कराने की हकदार तो है लेकिन कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन को साबित करने में विफल रही है।

अतः तनकी नंबर 1 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– वादिया अपने स्वामित्व के कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। तनकी नं0 1 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिया यह साबित करने में विफल रही कि वादिया किस किस ख0नं0 पर कब्जा प्राप्त किया था और किस पर कब्जा काश्त चली आ रही है। बेचान के समय विवादित आराजी सहखातेदारी में दर्ज थी और यह सुस्थापित तथ्य है कि सहखातेदारी की प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक व अधिकार होता है। जब प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व अधिकार होने से प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 को बेदखल नहीं किया जा सकता है।

अतः तनकी नंबर 2 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3–प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रत्येक ख0नं0 का विभाजन कराकर अपने नाम पृथक से खाता दर्ज करापाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 पर था। ग्राम गोरडी जागिर की जमाबंदी संवत 2069–72 के अवलोकन से जाहिर है कि खाता संख्या 339 की किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 भूमि वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के शामलाती खाते में दर्ज थी लेकिन वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार विवादित आराजी वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के साथ साथ एक अन्य काश्तकार मनोहर पुत्र शिवनाथ जाति मीणा निवासी दिल्ली के भी सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त सहखातेदार मनोहर पुत्र शिवनाथ को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना और उसे सुने बिना विवादित आराजी का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार हाल जमाबन्दी में कुल किता 16 कुल रकबा 7.65 है0 है जबकि वाद पत्र के साथ पेश जमाबन्दी में कुल किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया जाहिर है कि वाद दायर होने के बाद 2 खसरों का बेचान होकर खाता पृथक हो गया है। अभिभाषक वादिया एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण 1 ता 5 द्वारा बहस के दौरान इस तथ्य पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 अपने हिस्से की आराजी का विभाजन कराकर पृथक से अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी तो है लेकिन सहखातेदार

मनोहर पुत्र शिवनाथ मीणा को पक्षकार बनाये एवं सुने बिना और कुल खसरों व कुल रकबे में हुऐ परिवर्तन को साबित किये बिना विभाजन नहीं किया जा सकता है।

अतः तनकी नं0 3 प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4–प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 पर था। तनकी नं0 3 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि सहखातेदार मनोहर पुत्र शिवनाथ मीणा को पक्षकार बनाये एवं सुने एवं बिना कुल खसरों व कुल रकबे में हुऐ परिवर्तन को साबित किये बिना विभाजन नहीं किया जा सकता है और जब विवादित सहखातेदारी की आराजी का उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विभाजन – अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी या कब्जे काश्त अनुसार– किया नहीं जा सकता तो सहखातेदार वादिया को बेदखल नहीं किया जा सकता है। **अतः तनकी नंबर 4 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम गोरडी जागिर की विवादित आराजी पूर्व खाता संख्या 315 कुल किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 (हाल खाता संख्या 420 कुल किता 16 कुल रकबा 7.65 है0) पर वादिया का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू की विवादित आराजी पूर्व खाता संख्या 315 कुल किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 (हाल खाता संख्या 420 किता 16 कुल रकबा 7.65 है0) पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज किये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 79/2014 **दायर दिनांकः 06.08.2014**

उनवान

1. रोशन बाई उम्र 46 वर्ष पत्नि रामप्रसाद जाति मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादिया

बनाम

1. कल्याण सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
2. चतरभुज उम्र 60 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
3. बृजराम सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
4. पुखराज सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
5. ज्ञान कुंवर उम्र 42 वर्ष पुत्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर
6. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार तर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादीया :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर प्रतिवादी क्रम 1 व 5

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू की विवादित आराजी पूर्व खाता संख्या 315 कुल किता 18 कुल रकबा 7.76 है0 (हाल खाता संख्या 420 किता 16 कुल रकबा 7.65 है0) पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज किये जाते है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.09.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)